

प्रकरण सं 6/20

दिनांक 9/10/20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पद्यानन्वार्थ रा-3 मा वि 4/5 वदशीलदार रामपुर

9/10/20

तदशीलदार रामपुर से प्रकरण इस प्रकार का प्राप्त हुआ कि गात्र स्वस्वभाला में डा न 505 513, 515, 973/81, 974 सिता 5 रकबा 1.32

हेक्टर वाली राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्वस्वभाला के नाम भवन एवं खेल मैदान हेतु दर्ज रेकार्ड है जो उक्त वाली जमीन नं क्र 137, 144 से दर्ज है, नतीजा में रा मा विद्यालय कुमोला होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित हो स्थापित उक्त पदराजीयत रा मा वि विद्यालय के अन्तर्गत रा-30 मा वि विद्यालय गावाडिपारा के नाम दर्ज कराना जाना

तदशीलदार रामपुर से प्राप्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा सर्वोच्च रेकार्ड का आवलोकन किया तो पाया कि पद्यानन्वार्थ रा-30 मा वि स्वस्वभाला की क्षेत्र से आवेदन करते पर वदशीलदार रामपुर द्वारा वाद जांच प्रकरण इस विद्यालय को प्रेषित किया गया उक्त विद्यालय वर्ष 2014-15 में क्र. संख्या 153 के अन्तर्गत सरकार द्वारा 21.10.2014 व संशोधित आदेश 1.5.2015 को जारी करते पर किये गए माध्यमिक शिक्षा राजस्वा 0 बीमाने से दिनांक 15.05.2015 को जारी आदेश से विभागीय स्वीकृती की गयी है मूल आदेश भी उते



प्र. सं.
6/2020
(2020/00236)

साथ सल्लाह एं प्रिसभ कृष्क 72 पर खाखरमाला
का नाम दर्ज एं

उपरोक्त विवरण कडुसार प्रधानाचार्य
श. 30 मां वि० खाखरमाला के आवेदन पर
तहसीलदार रामपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के
कडुसार प्रार्थना पत्र कर्गति धारा 133 LA Act
1956 के स्वीकृत किया जाकर उचित प्रतीत होना एं

आदेश

कतः प्रधानाचार्य श. 30 मां विद्यालय खाखरमाला
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11-09-2020 को
स्वीकृत किया जाकर आदेश दिया जाता है
कि गांव खाखरमाला में स्थित काराजी ख. नं
505, 513, 515, $\frac{973}{81}$, $\frac{974}{514}$ किता 5 रकबा
1.32 हेक्टर प्राप्ति राजकीय माध्यमिक विद्यालय
खाखरमाला के वजाय राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालय खाखरमाला के नाम दर्ज की जावे।
पालाचार्य तहसीलदार रामपुर को लिखा जावे।
पञ्जावली फेलाल शुमार होकर नक्का से कर हो।



Shw
9.10.2020
(मुन्दरमालाखाखरमाला)
सहायक कमिटर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)